संख्या-85 /2023/610/चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 28 फरवरी, 2023

विषय- आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत मार्च, 2023 मे फिरोजाबाद एवं मैनपुरी मे दो दिवसीय रंगोत्सव से संबंधित कार्यक्रम तथा बहराइच मे दो दिवसीय थारू जनजाति के संग होली मे एक थारू के संग होली के रंग से संबंधित कार्यक्रमों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान के पत्र सं0-606/लो0ज0क0सं0स0/2022-23, दिनांक 24 फरवरी, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत मार्च, 2023 में फिरोजाबाद एवं मैनपुरी मे दो दिवसीय रंगोत्सव से संबंधित कार्यक्रम हेतु रू0 8,19,400/-(रूपये आठ लाख उन्नीस हजार चार सौ मात्र) तथा बहराइच मे दो दिवसीय थारू जनजाति के संग होली मे एक थारू के संग होली के रंग से संबंधित कार्यक्रमों हेतु रू0 9,95,000/-(रूपये नौ लाख पिच्चानवे हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 18,14,400/-(रूपये अटठारह लाख चौदह हजार चार सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि आहरित कर लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी। निदेशक, लोक जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान द्वारा वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी।

(2) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/ पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(4) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला तथा संस्कृति- 800-अन्य व्यय-12-आजादी का अमृत महोत्सव-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

भवदीय
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 85 /2023/ 610/चार-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।

4- निदेशक, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान लखनऊ।

5- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।